

भारतीय रिज़र्व बैंक

पर्यवेक्षण विभाग

RESERVE BANK OF INDIA

Department of Supervision



पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)

(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या **B-13.02490**

No.

Issued in lieu of CoR

No. B.01.00245

Dated June 16, 2023

(shifted from Ahmedabad RO)

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(दिनांक 14 मई 2003 के जमाराशि लेनेवाले पूर्ववर्ती प्रमाणपत्र सं. 01.00245 के बदले में)

दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने/करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the

Reserve Bank of India Act, 1934

RAJATH FINANCE LIMITED

(in lieu of earlier Desposit Taking Certificate No. 01.00245 dated May 14, 2003)

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

में अगस्त दो हजार चौबीस की बारहवीं तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at Mumbai

this Twelfth

day of

August

Two Thousand

Twenty Four

(एम. राजेन सिंह / M. Rajen Singh)

महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक

General Manager / Deputy General Manager

